

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर

टेलीफोन न. 0141-2706830, 2706032 ई-मेल - rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक - रा.मु./2018-19/व.ली.प्रशिक्षण | 333

दिनांक:- 10.4.18

विषय:- फ्लॉक एवं गाइड यूनिट लीडर एडवांस कोर्स आबूपर्वत।

महोदय/महोदया,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वावधान में 2018-19 के वार्षिक कार्यक्रमानुसार फ्लॉक एवं गाइड कैप्टिन एडवांस कोर्स का आयोजन दिनांक 19 से 25 मई, 2018 तक आबूपर्वत पर किया जाना निश्चित किया गया है। आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:-

1. शिविर का नाम :- फ्लॉक एवं गाइड यूनिट लीडर एडवांस कोर्स।
2. तिथियाँ :- 19 से 25 मई, 2018
3. स्थान :- स्काउट/गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र नं.1 ओल्ड गोल्फ मैदान, केन्द्रीय बस स्टेण्ड के पास, आबूपर्वत, (सिरोही)
फोन न. 02974-238662, मोबाईल नं. 80030-97176,
(श्री जितेन्द्र भाटी सी.ओ. आबूपर्वत)
4. शुल्क :- पंजीकरण शुल्क - 80.00 रु.संबंधित ग्रुप द्वारा देय।
विकास शुल्क - 200.00 रु.संबंधित ग्रुप द्वारा देय।
योग - 280.00 रु.
5. योग्यता :- शिविर संभागियों के लिए निम्न योग्यताएँ होना वांछनीय है।
 1. नियुक्ति पत्र प्राप्त सक्रिय गाइडर हो।
 2. बेसिक कोर्स के बाद कम से कम 6 माह तक अपनी यूनिट के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया हो।
 3. पूर्ण स्वस्थ हो एवं शिविर का श्रम वहन कर सकें।
6. पंजीकरण :- पंजीकरण हेतु आवेदन अपने मण्डल मुख्यालय को दिनांक 30.04.2018 तक भिजवाना है तथा मण्डल मुख्यालय अपने क्षेत्र के आवेदन पत्र प्राप्त करके दिनांक 05.05.2018 तक राज्य मुख्यालय को भिजवायें।
7. आवंटित कोटा :- मण्डलवार कोटा नियमानुसार है:-

	अजमेर	भरतपुर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	
फ्लॉक	3	3	4	4	4	3	3	योग 24
गाइड	5	5	8	8	8	6	8	योग 48

गाइड ऑर्गेनाइजर के कार्यक्षेत्र से गाइडर की सहभागिता अनिवार्य है।
8. भोजन व्यवस्था :- शिविर नियमानुसार टोली विधी द्वारा की जा सकेगी।
9. सामग्री :- सभी संभागी गाइडर ए.पी.आर.ओ. भाग 3 के अनुसार पूर्ण एवं सही यूनिफार्म साथ लावें।
मौसम के अनुसार बिस्तर, स्वयं खाना खाने व चाय पीने के बर्तन, टार्च, नित्य उपयोगी की सामग्री, स्काउट/गाइड साहित्य प्रशिक्षण शिविरों की नोटबुक, पैन पेंसिल, स्केल एवं विशेष जरूरत के अनुसार आवश्यक सामग्री। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु वेशभूषा साथ लावें।
10. यात्रा व्यय :- संभागियों का यात्रा व्यय का भुगतान संबंधित विभाग से राजकीय नियमानुसार राजकोष से देय होगा। निजी विद्यालय संभागियों का यात्रा व्यय संबंधित संस्थान से देय होगा।

11. विशेष

:-

शिविरावधि में शिविर केन्द्र छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। विलम्ब से आने वाली गाइडर को स्वीकार नहीं किया जावेगा। शिविर में किसी अन्य सदस्य को साथ ना लावें। संभागी बेसिक कोर्स के प्रमाण पत्र की प्रति साथ लेकर आवें। अन्यथा शिविर में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

राज्य
9/4/18

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)

दिनांक:- 10.4.18

क्रमांक - रा.मु./2018-19/ 334

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
2. शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा.....
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
4. सहायक राज्य संगठन आयुक्त, स्काउट/गाइड समस्तको भेजकर लेख है कि आंवटित संख्या एवं निर्धारित योग्यतानुसार गाइडर्स को कोर्स में सम्मिलित कराएं।
5. सर्कल आर्गे.(स्का./गा.) समस्त अपने जिले की सहभागिता सुनिश्चित करें।
6. लेखाकार, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, रा.मु., सभी मण्डल एवं जिलों पर परिपत्र ई-मेल करें एवं वेबसाइट पर डालें।

राज्य
9/4/18

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)